पाठ - 1
नमाज़ के अहकाम और अनुशासन

الدرس الأول - هندي
أحكام الصلاة و آدابها

इस्लाम के पाँच स्तम्भों में से नमाज़ दूसरा स्तम्भ है। यह हर वयस्क (बालिग) और समझदार मुसलमान पर फर्ज़ है।

अल्लाह तआला फ़रमाता है:

बेशक नमाज़ मोमिनों पर फर्ज़ की गयी है तय वक्तों पर (सूरह निसा, आयत 103)

और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर है। लाइलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह की गवाही देना, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात देना, हज करना, और रमज़ान के रोज़े रखना। (बुख़ारी 8, मुस्लिम 16)

आदमी पन्द्रह साल की आयु को पहुंचने पर वयस्क (बालिग) हो जाता है। उसके नाफ़ के नीचे बाल उग आते हैं। और वीर्य ख़ारिज होने लगती है। महिलाओं के लिए एक शर्त यह भी है कि उनकी माहवारी स्राव शुरु हो जाता है। यदि किसी को इन में से कोई एक चीज़ भी हासिल हो गयी तो वह व्यस्क हो गया।

नमाज़ की अनिवार्यता को नकारने वाला व्यक्ति इजमा की नज़र में काफिर होगा। सुस्ती और काहिली से नमाज़ छोड़ने वाले इंसान के काफ़िर होने के बारे में सहाबए किराम का इजमा है।

जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते हूए सुना : मुसलमान और कुफ़्र व शिर्क के बीच की सीमा (रेखा) नमाज़ है। (सही मुस्लिम 82)

और क़ियामत के दिन नमाज़ का ही सबसे पहले हिसाब लिया जायेगा।

नमाज़ अदा करने के बेशुमार फज़ाएल हैं। उन्हीं में एक फज़ीलत यह है जिसे अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया जिसने अपने घर में वुज़ू किया और किसी मस्जिद की तरफ़ गया ताकि अल्लाह के फर्ज़ों में से एक फ़र्ज़ नमाज़ को अदा करे तो उसके एक क़दम की वजह से गुनाह ख़त्म होंगे और दूसरे की वजह से उसका दर्जा बुलन्द होगा, (मुस्लिम 666)

अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया क्या मैं तुम लोगों को ऐसी चीज़ न बता दूं जिसकी वजह से अल्लाह तआला गुनाहों को मिटा देता है और दरजात को बुलन्द फरमा देता है सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम ने कहा कि अल्लाह के रसूल! ज़रूर बताइये! आपने फरमाया परीशानी के बावजूद पूरी तरह वुज़ू करना, मस्जिदों की तरफ़ ज़्यादा जाना और एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ का इन्तिज़ार करना, यह सीमा पर रखवाली करने के समान है, (मुस्लिम 666)

अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया जो सुबह और शाम मस्जिद जाता है तो जितनी बार सुबह व शाम को वह जाता है, अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में मेहमाननवाज़ी का सामान तैयार करता है (बुख़ारी 662, मुस्लिम 669)